आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 121/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

पंजाब नेशनल बैंक, झोटवाडा शाखा, जयपुर (राज.)

प्रार्थी बैंक

बनाम

1. मैसर्स सुर्या पोल्ट्री फार्म्स श्री गुरू बचन सिंह पुत्र श्री गोपाल चौधरी
   पता :– धासल इण्डस्ट्रीज एरिया, गांव एवं पोस्ट हिंगोनिया, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
2. श्री गोपाल चौधरी पुत्र श्री मन्नाराम
   पता :– धासल इण्डस्ट्रीज एरिया, गांव एवं पोस्ट हिंगोनिया, वाया जोबनेर तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

उपस्थित :–

1. बैंक प्रतिनिधि प्रार्थी बैंक की ओर से।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

आदेश

दिनांकः **19.01.2021**

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में (1) फैक्ट्री साईट मैसर्स सुर्या पॉलट्री फार्म्स गांव एवं पोस्ट हिंगोनिया, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर स्थित दृष्टिबंधक सभी प्रकार के स्टाक्स एवं बुक डेब्ट्स–दृष्टिबंधक स्टोक्स ऑफ लाईव स्टोक, अण्डे, ड्रैस्ड मीट, मैन्यूर, पॉलट्री दवाएं एवं पॉलट्री फीड आदि (2) अप्रार्थी गोपाल चौधरी पुत्र श्री मन्नाराम के स्वामित्व की परिवर्तित आवासिय भूमि एवं भवन जो खसरा नम्बर 656/248 रकबा 15 बिस्वा, ग्राम हिंगोनिया तहसील फुलेरा जिला जयपुर क्षेत्रफल 1896.96 वर्ग मीटर (3) अप्रार्थी श्री गुरू बचन सिंह पुत्र श्री गोपाल चौधरी के नाम परिवर्तित औधोगिक भूमि व भवन जो खसरा नम्बर 15/2, गांव जोरपुरा, हिंगोनिया रोड, ग्राम पंचायत जोरपुरा सुन्दरियावास, तहसील फुलेरा जिला जयपुर क्षेत्रफल 2650.57 वर्ग मीटर (4) फैस्ट्री साइट मैसर्स सूर्या पॉलट्री फार्म्स पर स्थित सभी प्रकार के प्लांट एवं मशीनरी का दृष्टिबंधक जो टर्म लोन 22.50 लाख में खरीदे गये का बन्धक कर सी सी हाईपोथीकेशन लिमिट के लिए दिनांक 29.07.2017 को 50,00,000/–रूपये एवं टर्म लोन में 22,50,000/–रूपये कुल 72,50,000/–रुपये की ऋण सुविधा

उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 22.11.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. प्रार्थी बैंक के विभागीय प्रतिनिधि को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 88,30,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 57,69,018.15 रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 22.11.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में (1) फैक्ट्री साईट मैसर्स सुर्या पॉलट्री फार्म्स गांव एवं पोस्ट हिंगोनिया, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर स्थित दृष्टिबंधक सभी प्रकार के स्टाक्स एवं बुक डेब्ट्स–दृष्टिबंधक स्टोक्स ऑफ लाईव स्टोक, अण्डे, ड्रैस्ड मीट, मैन्यूर, पॉलट्री दवाएं एवं पॉलट्री फीड आदि (2) अप्रार्थी गोपाल चौधरी पुत्र श्री मन्नाराम के स्वामित्व की परिवर्तित आवासिय भूमि एवं भवन जो खसरा नम्बर 656/248 रकबा 15 बिस्वा, ग्राम हिंगोनिया तहसील फुलेरा जिला जयपुर क्षेत्रफल 1896.96 वर्ग मीटर (3) अप्रार्थी श्री गुरू बचन सिंह पुत्र श्री गोपाल चौधरी के नाम परिवर्तित औधोगिक भूमि व भवन जो खसरा नम्बर 15/2, गांव जोरपुरा, हिंगोनिया रोड, ग्राम पंचायत जोरपुरा सुन्दरियावास, तहसील फुलेरा जिला जयपुर क्षेत्रफल 2650.57 वर्ग मीटर (4) फैक्ट्री साइट मैसर्स सूर्या पॉलट्री फार्म्स पर स्थित सभी प्रकार के प्लांट एवं मशीनरी का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर), जिला जयपुर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा व उससे सम्बन्धित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण के कब्जे में हो तो प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 19.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

19/1/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)